## <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—300201 / 2016</u> संस्थित दिनांक—10.03.2016

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– – – <u>अभियोजन</u>

# // <u>विरुद</u> //

भैनसिंह पिता रामसिंह, उम्र—45 वर्ष, जाति बैगा, निवासी—ग्राम कुकड़ा, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — **अभियुक्त** 

### // <u>निर्णय</u> //

## (आज दिनांक-15.03.2018 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—22.12.2015 को शाम 07:00 बजे, ग्राम कुकड़ा, पुलिस चौकी डोरा, अंतर्गत थाना रूपझर में फरियादी सुन्दरलाल सलामे को मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य दूसरे सुननेवालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी के साथ हाथ—मुक्कों से मारकर व जमीन पर पटककर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित कर, फरियादी के दािहने कान एवं बांए हाथ के अंगूठे के पास दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित कर, फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुन्दरलाल सलामे ने पुलिस चौकी डोरा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक—22.12.2015 को शाम 07:00 बजे, फरियादी उसकी माँ फुलवन्तीबाई के घर पर गया था, वहां पर पड़ोस के भैनसिंह से फरियादी ने पूछा कि अभियुक्त का ससुर कहां है, ऐसा पूछा तो अभियुक्त ने फरियादी को जमीन पर पटक दिया। फरियादी छुड़ाने लगा

तो अभियुक्त ने फरियादी को मुंह के दांत से दाहिने कान व बांए हाथ के अंगूठे के पास काट लिया था। पुलिस चौकी डोरा ने फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया था। फरियादी की पुलिस चौकी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रूपझर ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक—206/2015 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर ने अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 4— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है</u>:—
  - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—22.12.2015 को शाम 07:00 बजे, ग्राम कुकड़ा, पुलिस चौकी डोरा, अंतर्गत थाना रूपझर में फरियादी सुन्दरलाल सलामे के दाहिने कान एवं बांए हाथ के अंगूठे के पास दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

#### - विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— सुन्दरलाल अ.सा.01, रमोतीबाई अ.सा.02 का कथन है कि अभियुक्त उनका रिश्तेदार है। घटना उनके न्यायालयीन कथनों से एक—दो वर्ष पूर्व की है। सुन्दरलाल शाम के समय उसकी माँ फूलवंतीबाई के घर पर आया था। फरियादी की माँ के मकान के सामने अभियुक्त का मकान है। सुन्दरलाल अ.सा.01 नशे में था, इस कारण झूमाझटकी में सुन्दरलाल पत्थर पर गिर गया था, इस कारण उसे चोट आई थी। सुंदरलाल ने घटना के दूसरे दिन पुलिस चौकी डोरा में रिपोर्ट की थी। पुलिस ने साक्षीगण के कथन लिये थे। सुन्दरलाल अ.सा.01 का कथन है कि उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी—2 का नक्शामौका बनाया था। सुन्दरलाल अ.सा.01, रमोतीबाई अ.सा.02 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिनसे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। सुन्दरलाल अ.सा.01, रमोतीबाई अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। राजीनामा करने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं को कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नियाजित समर्थन नहीं किया होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया होने के कारण अभियोजन पक्ष ने समर्थन नहीं किया होने समर्थन नियाजित समर्थी समर्थन समर्थन समर्थन सम्योजित समर्थन समर्थी समर्थन नियाजित समर

अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी के दाहिने कान एवं बांए हाथ के अंगूठे के पास दांत से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7- प्रकरण में अभियुक्त का मुचलका भारमुक्त किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट म.प्र. (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट म.प्र.

